

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक: प.12(12)वित्त/कर/2023-94

जयपुर, दिनांक: 09.10.2024


—: आदेश :-

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2023 (जिसे इसके पश्चात् 'योजना' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), के बिन्दु संख्या 13.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प.12 (12) वित्त/कर/2023-15 दिनांक 02.05.2023 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त योजना के बिन्दु संख्या 4.4 (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नीति आयोग के दर्पण पोर्टल एवं आयोजना विभाग के Voluntary Sector Development Centre (VSDC) पोर्टल पर पंजीयन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन" प्रतिस्थापित की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. खुशल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को आज के विशेषांक राज-पत्र (Extra Ordinary Gazette) के भाग-1 (ब) में प्रकाशित करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान)
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
10. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आयोजना विभाग
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।


संयुक्त शासन सचिव